## प्रस्तावित वन—भूमि को शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा करने की वचनबद्धता का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या— एफ०एन० 5—3/2007 (एफ० सी०, डिवीजन) दिनांक 05.02.2009 द्वारा 30 वर्षों के लिए वन भूमि के हस्तान्तरण/गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्धारित नेट प्रजेन्ट वैल्यू (एन०पी०वी०) दरों के अनुसार धनराशि को लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग को ई—पोर्टल से उत्पन्न ई—चालान द्वारा माध्यम से भुगतान कर दिया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त दरों में बढ़ोत्तरी हाने पर भी धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

(अरविन्द कुमोर) (अरविन्द कुमोर) (अरविन्द कुमोर) (अरविन्द कुमोर) अधिशासी अमियन्च W.L निर्माण खण्ड-मक्कुत्वा)प्रनिव्विव,बरेली